भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 8
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

लॉकडाउन के दौरान नौकरियां जाना

8. श्री मलूक नागरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कंपनियों, कारखानों, उद्योगों, मॉल, दुकानों आदि के कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून कार्यान्वित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में कोई कानून बनाया है जिन्हें अभी तक पूरा वेतन नहीं मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 10.07.2022 तक 1.50 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 59.53 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने दिनांक 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी पहलों से सामूहिक रूप से रोजगार सृजित होने और मध्यम से दीर्घावधि में गुणक प्रभावों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावना है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें विस्तार करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हैं।

दिनांक 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में यह दिया गया है कि छँटनी के समय, श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, या ऐसे दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिसूचित किया गया हो। इसके अलावा, संहिता छंटनी किए गए श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए एक पुन: कौशल निधि भी स्थापित करता है। निधि में कर्मचारी द्वारा छँटनी से ठीक पहले, पिछले पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि का नियोक्ता का योगदान शामिल होगा या ऐसे अन्य दिनों की संख्या के बराबर जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, और ऐसे अन्य स्रोतों के रूप में जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। निधि का उपयोग, कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित पंद्रह दिनों के वेतन को उसके खाते में, जिसकी छंटनी की गई है, छँटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जमा करके किया जाएगा।

वेतन संहिता, 2019 केंद्र सरकार को, केंद्र और राज्यों में लागू न्यूनतम वेतन तय करने का आदेश देता है। वेतन संहिता में न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता के लिए अनुसूची हटाने और निर्दिष्ट उद्योगों को हटाने और वेतन भुगतान के लिए 24000/- रुपये प्रति माह की सीमा से वेतन सुरक्षित होगा और कर्मचारियों को मजदूरी का पूरा भुगतान सुनिश्चित होगा।

*****